सार्वजनिक सूचना

विद्युत कय लागत में विचलन एवं विद्युत कय लागत में हुई वृद्धि की वसूली हेतु कठिनाई को दूर करने हेतु माननीय आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने एवं बहुवर्षीय टैरिफ आदेश के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुपालन हेतु यूपीसीएल द्वारा माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी याचिका पर जन सुनवाई

याचिका के मुख्य बिन्दु

1– यूपीसीएल, उत्तराखण्ड़ राज्य की एकमात्र वितरण एवं फुटकर विद्युत आपूर्ति अनुज्ञापी कम्पनी ने उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (आयोग) के समक्ष विद्युत कय लागत में विचलन एवं विद्युत कय लागत में हुई वृद्धि की वसूली हेतु कठिनाई को दूर करने हेतु माननीय आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने एवं बहुवर्षीय टैरिफ आदेश के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुपालन हेतु एक याचिका दायर की है।

2– यूपीसीएल द्वारा पत्र दिनांक 26–07–2022 के माध्यम से दायर याचिका में कुछ टंकण एवं सूत्र त्रुटि को संशोधित करने हेतु एक अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण भी किया गया है।

3– उपर्युक्त याचिका के माध्यम से यूपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये राज्य के उपभोक्ताओं हेतु विश्वसनीय विद्युत हासिल करने के लिये रु0 1355.41 करोड़ की अतिरिक्त लागत का आंकलन किया है। इस हेतु याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये विद्युत कय लागत का संशोधित प्रस्तावित अनुमान निम्नानुसार है:

विवरण	तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	कुल
संशोधित विद्युत कय लागत (रु0 करोड़)	2,339.55	1,246.30	1707.94	1,754.47	7,048.26
अनुमोदित विद्युत कय लागत (रु0 करोड़)	1,402.16	1,502.03	1,425.07	1,363.59	5,692.85
परिवर्तन (रु0 करोड़)	**937.39**	**-255.73**	**282.87**	**390.88**	**1,355.41**
परिवर्तन (प्रतिशत)	67%	-17%	20%	29%	

4– यूपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के शेष महीनों में इस प्रस्तावित वृद्धिशील शुल्क को एफएसी मैकेनिज्म (बिना किसी सीमा के) या एक पृथक "अतिरिक्त शुल्क" अथवा "अधिभार" जो भी उचित हो, के रुप में उपभोक्ता से वसूलने का प्रस्ताव दिया है।

5– यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित अधिभार को उपभोक्ताओं से वित्तीय वर्ष 2022–23 के शेष तीन तिमाही में अगस्त, 2022 से प्रारम्भ करते हुये वसूला जाना प्रस्तावित है। उपर्युक्त प्रस्तावित अधिभार को बीपीएल उपभोक्ताओं, घरेलू उपभोक्ताओं को जो मासिक आधार पर 100 यूनिट से कम खपत करते हैं, बर्फीले क्षेत्र के उपभोक्ताओं एवं निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को मुक्त रखा गया है। यह अधिभार वर्तमान में अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अवशेष 8 माह की अवधि में यूपीसीएल द्वारा निम्नानुसार वसूला जाना प्रस्तावित है:

श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या (MYT में उल्लिखित)	शेष 8 माह की विक्रय (एम.यू.)	प्रस्तावित अधिभार (रु0 /यूनिट)	प्रस्तावित अधिभार से राजस्व (रु0 करोड़)
आरटीएस.–1 घरेलू	**25,40,569**	**2,681.41**	**0.11**	**30.79**
1.1 बीपीएल/लाईफलाईन उपभोक्ता	5,08,114	196.17	0.00	-
1.2 अन्य घरेलू उपभोक्ता	20,32,455	2,437.94		24.87
(i) उपभोग 100 यूनिट प्रतिमाह तक	11,43,256	1,206.64	0.00	-
(ii) उपभोग 101–200 यूनिट प्रतिमाह	4,57,302	536.28	0.15	8.04
(iii) उपभोग 201–400 यूनिट प्रतिमाह	3,04,868	402.21	0.20	8.04
(iv) उपभोग 400 यूनिट से अधिक प्रतिमाह	1,27,028	292.81	0.30	8.78
2. सिंगल प्वाइन्ट बल्क सप्लाई	150	47.30	1.25	5.91
आरटीएस–1ए:स्नोबाउन्ड				
1. घरेलू	-	-	0.00	-
2. अघरेलू (1 किवा भार तक)	-	-	0.00	-
3. अघरेलू (1 किवा से अधिक एवं 4 किवा भार तक)	-	-	0.00	-
4. अघरेलू (4 किवा से अधिक भार)	-	-	0.00	-
आरटीएस–2 अघरेलू	3,22,104	897.14	2.39	214.20
आरटीएस–3: गवर्नमेन्ट पब्लिक यूटिलिट्ज (आरटीएस–3)	**8,485**	**596.35**	**2.37**	**141.24**
आरटीएस–4: निजी नलकूप/पम्पिंग सेट	**46,786**	**206.14**	**0.00**	-
आरटीएस–4 ए: एग्रीकल्चर एलाइड एक्टीवीटीज	**290**	**14.14**	**0.15**	**0.21**
आरटीएस–5 एल.टी. इण्डस्ट्रीज	**16,050**	**222.94**	**2.19**	**48.77**
आरटीएस–5 एच.टी. इण्डस्ट्रीज	**2,455**	**3,933.42**	**2.25**	**885.47**
आरटीएस–6 मिश्रित भार	**80**	**133.88**	**2.15**	**28.78**
आरटीएस–7 रेलवे ट्रैक्शन	**2**	**12.97**	**2.24**	**2.91**
आरटीएस–8: इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन	**100**	**14.65**	**2.10**	**3.08**
कुल	**29,37,071**	**8,713.05**	**1.56**	**1,355.45**

6– यूपीसीएल द्वारा अतिरिक्त औसतन आपूर्ति लागत रु0 1.56 प्रति यूनिट के आधार पर "प्रस्तावित अधिभार" से रु0 1355.41 करोड की राजस्व प्राप्ति शेष 8 माह में (1 अगस्त, 2022 से प्रारम्भ) अनुमानित की गयी है।

7– याचिकाकर्ता द्वारा उक्त याचिका के माध्यम से किये गये अनुरोध का सारांश निम्नलिखित है:

i. गैस आधारित पॉवर को दीप पोर्टल/ अल्पकालिन व्यवस्था के माध्यम से पॉवर से बदलना।

ii. उपभोक्ताओं को लगातार विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये अल्पकालिन विद्युत क्रय की दर को न्यूनतम रु0 6.50/यूनिट अनुमोदित करना।

iii. याचिकाकर्ता को ऐसी संशोधित अनुमोदित दर के आधार पर आगामी तिमाहियों के लिये अल्पकालिन विद्युत क्रय करने का अनुमोदन।

iv. स्थिर नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने के लिये, अल्पकालिन विद्युत क्रय को एफएसी मैकेनिज्म / विद्युत क्रय अधिभार में समावेश करने की अनुमति।

v. उक्त याचिका के माध्यम से एफएसी मैकेनिज्म के अन्तर्गत अगस्त, 2022 से 10 प्रतिशत के प्रतिबंध के बिना उपभोक्ता से अनुमोदित शुल्क की वसूली हेतु अनुमति।

8– याचिका पर उपभोक्ताओं एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के सुझाव/मत, यदि कोई हो, आंमत्रित किये जाते है। ये सुझाव/मत व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड़ विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, निकट आई0एस0बी0टी0, पोस्ट आफिस–माजरा, देहरादून – 248171 को अथवा ई–मेल (secy.uerc@gov.in) पर दिनांक 19–08–2022 तक भेजे जा सकते है।

9– आयोग ने 22–08–2022 को पूर्वान्ह 11.30 बजे ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से उपर्युक्त वर्णित पते पर आयोग के कार्यालय में जन सुनवाई करने का भी निर्णय लिया है। कोई भी व्यक्ति जो इस विषय पर आयोग के समक्ष अपने विचार रखना चाहता है, आयोग के समक्ष उपस्थित होकर उपर्युक्त जन सुनवाई में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

10– विस्तृत याचिका किसी भी कार्य दिवस में आयोग अथवा मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), वीसीवी गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 120–हरिद्वार रोड़, देहरादून/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), कुमांऊ क्षेत्र, उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 132–के0वी0 सबस्टेशन, काठगोदाम, हल्द्वानी / मुख्य अभियन्ता (वितरण), हरिद्वार क्षेत्र, उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड, रोशनाबाद, हरिद्वार/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), उधमसिंह नगर क्षेत्र, उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 33 केवी सबस्टेशन, सेक्टर–2, सिडकुल, पंतनगर,रुद्रपुर–263153 पर बिना किसी खर्च के देखी जा सकती है। याचिका के सम्बन्धित प्रपत्र यूपीसीएल के उपर्युक्त वर्णित कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते है।

11– उक्त याचिका आयोग की वेबसाईट (www.uerc.gov.in) एवं यूपीसीएल की वेबसाईट (www.upcl.org) पर भी उपलब्ध है।

प्रबन्ध निदेशक